कार्यालय, महालेखाकार (लेखापरीक्षा), बिहार,
सामाजिक प्रक्षेत्र –I, स्थानीय लेखापरीक्षा शाखा,
वीरचन्द पटेल मार्ग, पटना - 800001

सं0. एल0ए0/एस0एस0 –1/श0स्था0नि0/14462/2143 दिनांक:– 22.12.14

सेवा में,

सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग
बिहार सरकार, पटना

महाशय,

नगर पंचायत, लालगंज के वर्ष 2011–12 से 12–13 तक के लेखाओं पर आधारित लेखापरीक्षा प्रतिवेदन सं0 868/13–14 आपके सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित है। अनुरोध है कि इस लेखापरीक्षा प्रतिवेदन की कंडिकाओं का अनुपालन, लेखापरीक्षा प्रतिवेदन प्राप्ति के 3 माह के अन्दर पूर्ववर्ती लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों की लम्बित कंडिकाओं के अनुपालन के साथ अभिप्रमाणित साक्ष्य सहित नगर पंचायत बोर्ड से अनुमोदित कराकर जिला स्तरीय समिति के समीक्षोपरान्त प्रेषित किया/करवाया जाय जिससे लेखापरीक्षा के उद्देश्यों की पूर्ति हो सके।

यह निरीक्षण प्रतिवेदन लेखा परीक्षित इकाई द्वारा समर्पित एवं उपलब्ध करायी गयी सूचनाओं/विवरणों के आधार पर तैयार किया गया है। महालेखाकार (लेखापरीक्षा), बिहार पटना का कार्यालय लेखा परीक्षित इकाई द्वारा किसी भी गलत सूचना देने अथवा सही तथ्य छिपाने की जवाबदेही का दावा नहीं करता है।

संलग्नक: यथोपरि

भवदीय,

22/12/14

वरीय लेखापरीक्षा अधिकारी
शहरी स्थानीय निकाय
सामाजिक प्रक्षेत्र–I
बिहार, पटना

Spl. Sec.
O.S.D. (K)

सचिव कोषांग, नगर विकास एवं आवास विभाग
पत्र
24 DEC 2014
बिहार, पटना

सचिव कोषांग, नगर विकास एवं आवास विभाग
पत्र पंजी
26 DEC 2014
संख्या 9950
बिहार, पटना

151

नगर पंचायत, लालगंज
निरीक्षण प्रतिवेदन सं.–868/13–14
(अवधि– 2011–12 से 12–13 तक)

1. प्रस्तावना

नगर पंचायत, लालगंज के वित्तीय वर्ष 2011–12 से 12–13 तक के लेखाओं की नमूना लेखापरीक्षा प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) स्थानीय लेखापरीक्षा शाखा, बिहार, पटना के लेखापरीक्षा दल द्वारा दिनांक 23.06.13 से 26.06.13 के दौरान किया गया।

2. प्रशासन

(क) सभापति

क्र.सं.	नाम	अवधि
1.	श्री कार्तिक कुमार	जून 2012 से 31.03.2013
2.	श्री अच्छेलाल चौधरी	01.04.2011 से जून 2012

(ख) उप–सभापति

क्र.सं.	नाम	अवधि
1.	श्री मुकेश कुमार चौधरी	जून 2012 से 31.03.2013
2.	श्री नवीन कुमार	01.04.2011 से जून 2012

(ग) कार्यपालक अधिकारी

क्र.सं.	नाम	अवधि
1.	श्री राजेश कुमार, बि.प्र.से.	01.04.2011 से 31.03.2013

3. लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र

लेखापरीक्षा द्वारा जॉच किए गए अभिलेखों की सूची प्रतिवेदन के परिशिष्ट– I पर तथा वैसे अभिलेख जो असंधारित थे या लेखापरीक्षा में प्रस्तुत नहीं किए गये थे उनकी सूची परिशिष्ट– II पर अवस्थित है।

4. संव्यवहार

नगर पंचायत लालगंज में वित्तीय वर्ष 2011–12 से 12–13 के दौरान आय– व्यय की स्थिति निम्नवत थी–

150

मद	2011—12	2012—13
OB	1,23,22,005	58,10,472
आय		
1) स्वयं के स्त्रोत	18,82,002	1135686
2) BRGF	2343613	1451118
3) 13वॉ वित्त आयोग	2303075	2891000
4) अति मुद्रांक शुल्क	425660	3021840
5) नगर प्रबंधक वेतन	140000	240000
6) ठंड वचाव अनुदान	2000	—
7) सामाजिक सुरक्षा पेंशन	20000	6000000
8) कबीर अंत्येष्टी	—	1225500
9) स्वर्ण जयंती श0रो0यो0	—	3000000
10) चतुर्थ राज्य वित आयोग	—	18326015
11) UIDSSMT	—	61260000
12) पार्षद भत्ता अनुदान	—	76200
13) स्वयं के स्त्रोत से रोकड़ बही मे		45,0500
कुल वार्षिक आय	71,16,350	99077859
कुल योग	19438355	104888331
कुल व्यय	13627883	16711462
अंतशेष	5810472	88176869

बैंक एवं कोषागार शेष

1) कोषागार पासबुक या स्टेटमेंट लेखापरीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया।

2) निम्नांकित प्रस्तुत बैंक खातों के पासबुक में 31.3.13 का शेष अंकित था।

1) वैशाली क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, लालगंज शाखा IDSMT योजना	SB A/C-3067	299322
2) भा0 स्टेट बैंक ,लालगंज BRGF	A/C-30354232516	3572665
3) वैशाली क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, लालगंज शाखा	SB A/C-2590	1423851
4) —do—	SB A/C-1266	708981
5) वैशाली डिस्ट्रीक्ट सेन्ट्रल को—ओपरेटिव बैंक	SB A/C -604	1905372

(अद्यतन नहीं)		(5-12-12)
6) सेन्टल बैंक ऑफ इंडिया SJSRY	A/C-3068449694	3001000
7) केनरा बैंक	A/C-1252101105717	पासबुक अद्यतन नहीं

रोकड़ बही की त्रुटियॉ

नगर पंचायत, लालगंज द्वारा संधारित रोकड़ बही में निम्नलिखित त्रुटियॉ पायी गई–

1) आय– व्यय पक्ष का वर्गीकरण नहीं किया गया।

2) रोकड़ बही दिनांक 1.4.2011 से 31.03.2013 तक कार्यपालक अधिकारी तथा लेखापाल द्वारा हस्ताक्षरित नहीं है।

3) वर्ष के अन्त में आय व्यय का सार तैयार नहीं किया गया ।

4) माह के अन्त में रोकड़ बही का कोषागार /बैंक पासबुक के साथ मिलान नहीं किया गया।

5) प्रारम्भिक शेष और अन्त शेष का विवरण नहीं पाया गया।

जवाब में कहा गया कि उपरोक्त त्रुटियों का निराकरण कर रोकड़ बही को अगले लेखापरीक्षा में प्रस्तुत कर दिया जाएगा।

5. आंतरिक लेखापरीक्षा

बिहार नगरपालिका लेखा नियमावली 1928 (नियम–20, 64, 73 (क) इत्यादि) में यह उपबंधित है कि आंतरिक जॉच अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, कार्यपालक पदाधिकारी/विशेष पदाधिकारी अथवा अन्य जिम्मेवार अधिकारी जिसे प्राधिकृत किया जाय उसके द्वारा किया जाएगा क्योंकि इस प्रकार की जॉच की व्यवस्था उचित नियंत्रण, अभिलेखों के संधारण अथवा किसी भी संभावित वित्तीय अनियमितता को दूर करने हेतु की गयी है।

परंतु नगर पंचायत की नमूना लेखापरीक्षा में यह पाया गया कि किसी भी स्तर पर इस तरह के आंतरिक जॉच की व्यवस्था नहीं थी जिसके कारण कई प्रकार की अनियमितताएं, जैसे लेखाओं के संधारण में त्रुटियॉ, वसूली गयी राशि का जमा नहीं होना अथवा कम जमा होना, दैनिक संग्रह पंजी एवं रोकड.पाल रोकड़ बही का अनियमित संधारण तथा समय– समय पर खाता खोलना इत्यादि, जिनकी चर्चा संबंधित कंडिकाओं में की गयी है, परिलक्षित हुई।

अतः न0प0 प्रशासन का ध्यान आकृष्ट कराते हुए सुझाव दिया जाता है कि भविष्य में इन अनियमितताओं/त्रुटियों को दूर रखा जाए। इस हेतु नियमित रूप से लेखाओं/अभिलेखों/पंजियों की आंतरिक जॉच की व्यवस्था की जाए।

6. रसीद अप्रस्तुत

लेखापरीक्षा में उपलब्ध कराये गये MR को भंडार पंजी से मिलान के क्रम में पाया गया कि निम्नांकित MR लेखापरीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया, जिनका विवरण निम्न है–

1148

MR No	Name of receipet	Date of issue
801 to 900	शंभुनाथ पंडित	22-7-11
901 to 1000	नन्दलाल यादव	11-8-11
1301 to 1400	लक्ष्मण सिंह	30-1-12
201 to 300	नन्दलाल यादव	12-2-13

वितीय वर्ष 2011–12 एवं 2012–13 के निम्न रसीदों को लेखापरीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया।

दिनांक	रसीद सं0	प्राप्तकर्ता
16.02.12	1501–1600	लक्ष्मण सिंह
31.03.12	2401–2500	लक्ष्मण सिंह
05.03.13	3601–3700	देवेन्द्र ठाकुर
10.05.13	3901–4000	लक्ष्मण सिंह

जवाब में कहा गया कि इन रसीदों को अगले लेखापरीक्षा में प्रस्तुत कर दिया जायेगा।

7. मुद्रांक शुल्क की वसूली नहीं

मुख्य सचिव, बिहार सरकार के पत्रांक 1920/नि0मु0स0 दिनांक 14.08.2002 एवं सचिव– सह–महानिरीक्षक पंजीयन, बिहार के पत्रांक 549/15.3.2012 के निर्देशानुसार सैरातों की बंदोबस्ती किये जाने की स्थिति मे बन्दोबस्ती राशि का 3 प्रतिशत मुद्रांक शुल्क के रूप मे वसूल किया जाना है। परन्तु नगर पंचायत मे मुद्रांक शुल्क की वसूली नहीं किये जाने के कारण सरकार को कुल रू 224802.00 की हानि हुई, जिसका विवरण नीचे दिया जा रहा है–

क्र0सं0	सैरात का नाम	वर्ष	बन्दोबस्तधारी का नाम	बन्दोबस्ती की राशि	मुद्रांक शुल्क की राशि
1.	नगर पंचायत बस पडाव	2011–12	श्री मिन्टु ठाकुर, लालगंज	25,01,000.00	75030.00
2.	तथैव	2012–13	श्री जीतेन्द्र कुमार राय, जलालपुर, लालगंज	45,05,000.00	1,35,150.00
3.	फाटक	2011–12	मो0 एकरामुल हक, लालगज	4500.00	135.00
4.	फाटक	2012–13	श्री जीतेन्द्र कुमार राय जलालपुर, लालगंज	5000.00	150.00
5.	रिक्शा / ठेला शुल्क	2011–12	श्री सुरेश सिंह, लालगंज	6200	186
6.	तथैव	2012–13	श्री रामदेव सिंह, रसुलपुर	7000	210
7.	थाना के निकट पोखर	2012–13 से 16–17	गोरख साह	366500	10995
8.	भट्ठी पोखर	तथैव	महेश प्रसाद, लालगंज	321000	963
9.	वार्ड 4 गुदरी मार्केट	2011–12	श्री नरेश महतो, लालगंज	50000	1500
10.	सुरिपाना मार्केट के निकट पोखर	2012–13 से 16–17	श्री अशोक साह, लालगंज	15000	450
			कुल		**224769**

अतः मुद्रांक शुल्क की राशि 224769 संबंधित जिम्मेवार व्यक्ति से वसूल किया जाय।

क) नगर पंचायात बस पडाव की बन्दोबस्ती वर्ष 2011–12 के दौरान रू 25,01,000.00 में श्री मिन्टु ठाकुर, लालगंज के साथ हुआ। इन्होने रू 18,00,000.00 दिनांक 15.3.2011 को कोषागार में दिनांक 15. 03.2011 को जमा किया। शेष राशि रू 7,01,000.00 (25,01,000– 18,00,000) का जमा लेखापरीक्षा नहीं दिखाया गया, जिसे वसूल किया जाय। ख) क्र0 सं0 10 को भी जमा लेखापरीक्षा को नहीं दिखाया गया।

जवाब में कहा गया कि जानकारी के अभाव में मुद्रांक शुल्क की कटौती नहीं की गयी है भविष्य में मुद्रांक शुल्क की वसूली की जायेगी।

8. कम जमा/नहीं जमा

नगर पंचायत, लालगंज में कर संग्राहक नन्दलाल यादव के द्वारा प्रयुक्त MR के नमूनां जॉच के दौरान पाया गया कि कुल MR के द्वारा Cash book में कम राशि जमा की गयी है। इनका विवरण निम्नलिखित है–

MR N0.Date	Amount collected	Amount Deposited	Difference
1806 दि–30.8.12	3657	3557	100
1843 दि–14.12.12	2642	2622	20
1856 दि–16.1.13	5488	5438	50
		Total	170

होल्डिंग रसीद के नमुना जॉच में पाया कि T.C. राजकुमार, कमीशन एजेंट के द्वारा निम्न रसीदों से वसुली गयी राशि DCR में अंकित था परन्तु उक्त राशि को में न0प0 निधि में जमा नहीं किया गया।

क्र0सं0	रसीद सं0	MR N0.	दिनांक	वसुली राशि
1.	3039–3060	338	21.01.13 से 31.01.13	4492
2.	3788–3800	272	03.05.13 से 31.05.13	4143
3.	4001–4025	289	04.06.13 से 15.06.13	9417
				18052

निम्न होल्डिंग रसीदों से वसूली गयी राशि को कर संग्राहक देवेन्द्र ठाकुर द्वारा जमा नहीं किया गया।

क्र0सं0	रसीद सं0	दिनांक	वसुली राशि
1.	2918–2960	09.09.12 से 13.10.12	2529
2.	2961–2974	15.10.12 से 18.11.12	2561
3.	2971–2982	11.11.12 से 19.11.12	2242
4.	2983–3000	21.11.12 से 30.11.12	3723
5.	3301–3318	03.12.12 से 29.12.12	2388

146

6.	3319–3340	05.01.13 से 24.01.13	11262
7.	3341–3364	24.01.13 से 31.01.13	2836
8.	3363–3390	01.02.13 से 08.02.13	3543
9.	3382–3399 + 3601–3604	08.02.13 से 09.03.13	3487
		कुल	34571

नगर पंचायत, लालगंज के Miscellenious receipt एवं cashier cashbook की नमूना जॉच के दौरान पाया गया कि निम्न वर्णित राशि जमा नहीं की गयी–

MR No	Date of collection	Amount
273	4.6.2013	80455
275	6.6.2013	5000
276	6.6.2013	15000
284	10.6.2013	350
	कुल	100805

अतः कुल रू 153598 (170+ 18052+ 34571+ 100805) की वसूली हेतु आवश्यक कार्रवाई की जाए।

जवाब में कहा गया कि राशि को जमा कर अगले लेखापरीक्षा में दिखाया जाएगा एवं श्री देवेन्द्र ठाकुर द्वारा MR No 292, दिनांक 26.06.13 द्वारा 23519 जमा किया गया जिसका बैंक/कोषागार में जमा का प्रमाण लेखापरीक्षा द्वारा नहीं देखा गया।

9. सरकारी/ गैर सरकारी बकाया मकान कर

नगर पंचायत, लालगंज द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रतिवेदन के अनुसार कुल रू 2888015 गैर सरकारी मकानों पर बकाया मकान कर है। साथ ही सरकारी मकानों पर रू 209104 का बकाया है। अतः कुल रू 3097119 की वसूली हेतु सभी आवश्यक कदम उठाए जाएँ। जवाब में कहा गया कि राशि की वसूली हेतु प्रयास किये जाएंगे।

10. बस पडाव शुल्क की विभागीय वसूली

नगर पंचायत में ज्ञापन 250, दिनांक 31.03.2012 द्वारा नगर पंचायत, लालगंज के बस पडाव शुल्क की विभागीय वसूली दिनांक 01.04.2012 से करने का आदेश निगम को दिया गया। यह वसूली श्री राजेन्द्र प्र0सिंह, वार्ड निरीक्षक के पर्यवेक्षण मे होना था।

टीम सं0	कार्य स्थल	प्रतिनियुक्ति कर्मी का नाम पदनाम
A	वैशाली रोड, सलाहपुर	1. श्री कौशल किशोरशुक्ला, अनुसेवी 2. श्री अनिल महतो, अनुसेवी
B	रेपुरा पावर हाउस चौक	1. श्री नन्दलाल यादव, अनुसेवी 2. श्रीसोनु कुमार ,अनुसेवी
C	मुजफफरपुर रोड में विभा टॉकिज के निकट	1. श्री अमरकांत तिवारी ,A.T.D 2. श्रीदेवेन्द्र ठाकुर, अनुदेशी
D	भटठी पोखर केनिकट स्थित बस पडाव	1. श्री लक्षमण सिंह,T.D 2. श्री धरोहर पंडित वार्ड जामादार

यह वसूली दिनांक 1.4.2012 से दि0 06.04.2012 तक किया गया।

श्री नन्दलाल यादव ने दि0 01.04.2012 से 06.04.2012 तक कुल रू 8134.00 वसूल किया। जिसे M.R.NO. 1556 दिनांक 03.05.2012 द्वारा नगर पंचायत मे जमा किया गया रोकड़ बही के अनुसार श्री कौशल किशोर शुक्ला ने M.R NO.1597 दिनांक 7.8.2012 द्वारा रू 5410.00 जमा किया।

लेखापरीक्षा टिप्पणी

1) श्रीनन्दलाल यादव के अलावा और किसी ने अपना वसूली लेखा अंकेक्षण के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया।

2) बस पड़ाव वसूली के लिए कितना रसीद बही छपने का आदेश दिया गया, इससे संबंधित आदेश तथा भंडार पंजी लेखापरीक्षा मे प्रस्तुत नहीं किया गया। अतः अन्य व्यक्तियों का भी वसूली लेखा यथाशीध्र लेखापरीक्षा मे प्रस्तुत किया जाए। जवाब में कहा गया कि अन्य व्यक्तियों का वसूली लेखा एवं भंडार पंजी अगले लेखापरीक्षा में दिखाया जाय।

11. बकाया दुकान किराया

नगर पंचायत द्वारा उपलब्ध करायी गयी विवरणी के अनुसार मई 2013 तक कुल रू 2,90,881.00 दुकान किराया बकाया है। जिसका विवरण निचे दिया जा रहा है–

1.)	पानी टंकी के निकट मार्केट	288625.00
2.)	भटठी पोखर के निकट मार्केट	2256.00
	कुल	290881.00

लेखापरीक्षा टिप्पणी

1) दुकान किराया के अन्तिम पुनरीक्षण की तिथि से लेखापरीक्षा को अवगत कराया जाय।

2) दुकान के आवंटन से संबंधित संचिका प्रस्तुत किया जाय।

3) किराया विवरणी के अनुसार श्री शशि भूषण राय (दुकान सं0 9) के यहाँ किराया वर्ष 1994 से तथा श्री वैद्यनाथ सिंह (दुकान सं0 10) के यहाँ किराया वर्ष 1997 से बकाया है। नगर पंचायत द्वारा किराया वसूली के लिए किये गये कार्रवाई से लेखापरीक्षा को अवगत कराया जाय।

4) बकाया किराया वसूली के लिए आवश्यक कार्रवाई की जाए।

जवाब में कहा गया कि श्री लक्ष्मण सिंह टैक्स दारोगा को दुकान आवंटन की संचिका पूर्व में दी गयी है। श्री सिंह के सेवानिवृत हो जाने के कारण लेखापरीक्षा संचिका में प्रस्तुत नहीं किया जा सका। इसे अगले लेखापरीक्षा में प्रस्तुत किया जाएगा।

12 निरस्त

13. U.I.D.S.S.M.T. अर्न्तगत राशि का हस्तांतरण

नगर पंचायत, लालगंज ने छोटे एवं मध्यम शहरों की आधारभूत संरचना विकास योजना के अन्तर्गत योजना के कार्यान्वयन हेतु जिला शहरी विकास अभिकरण, वैशाली को चेक सं0 A–611990 दिनांक 19.03.2010 द्वारा रू 6,31,50,000 भुगतान किया। (DUDA को निर्गत पत्र संचिका मे अनुपलब्ध) संचिका के अनुसार नगर पंचायत ने DUDA से राशि के उपयोग से संबंधित उपयोगिता प्रमाण पत्र कभी नहीं मॉगा। अतः उपयोगिता प्रमाण पत्र यथाशीध्र लेखापरीक्षा को उपलब्ध कराया जाय।

जवाब में कहा गया कि उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त करने हेतु DUDA से पत्राचार किया जाएगा।

14. 13thF.C& S.J.S.R.Y योजना के अन्तर्गत प्राप्त राशि के लिए सहायक रोकड़ बही का संधारण नहीं

1) नगर पंचायत, लालगंज को वित्तीय वर्ष 2011–12 और 12–13 के दौरान B.R.G.F, 13thF.C और S.J.S.R.Y के अन्तर्गत अनुदान राशि प्राप्त हुआ। परन्तु योजना के दिशा–निर्देशानुसार सहायक रोकड़ बही का संधारण नहीं किया गया।

2) B.R.G.F का सहायक रोकड़ बही दिनांक 31.03.2012 तक लिखा हुआ है। इस प्रकार लगभग 1 वर्ष 2 महीना व्यतीत हो जाने के पश्चात भी रोकड़ बही नहीं लिखा जाना एक गंभीर विषय है।

जवाब में कहा गया कि सहायक रोकड़बही का संधारण कर अगले लेखापरीक्षा में प्रस्तुत कर दिया जाएगा।

15. कोषागार पासबुक

नगर पंचायत द्वारा दिनांक 01.04.2011 से दिनांक 31.03.2013 तक का कोषागार पासबुक/स्टेंटमेंट प्रस्तुत नहीं किया गया। उपरोक्त को लेखापरीक्षा में प्रस्तुत नहीं करने के कारण लेखापरीक्षा अवधि के दौरान कोषागार से की गई लेन– देन (Transaction) की जॉच नहीं की जा सकी।

जवाब में कहा गया कि कोषागार से विवरणी प्राप्त नहीं होने के कारण इसे लेखापरीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया जा सका, संबंधित विवरणी को अगले लेखापरीक्षा में प्रस्तुत किया जाएगा।

16. अनुदान

नगर पंचायत द्वारा अनुदान पंजी का संधारण नहीं किया गया। अनुदान पंजी का संधारण नहीं करने के कारण दिनांक 01.04.2011 को अव्यतीत अनुदान की राशि वर्ष 2011–12 और 2012–13 के दौराण प्राप्त और व्यय अनुदान की राशि तथा दिनांक 31.3.2013 के बकाया अनुदान की राशि का पता नहीं चल सका। यद्यपि रोकड़ बही के अनुसार वर्ष 2011–12 और 12–13 के दौरान कुल रू 106105021 अनुदान के रूप में प्राप्त हुआ। जिसका विवरण संलग्न परिशिष्ट– III पर दिया गया है।

यद्यपि पूर्ववर्ती लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में हमेशा अनुदान पंजी संधारण हेतु सुझाव दिया जाता रहा है इसके बावजूद भी संधारण नहीं किया जाना खेद का विषय है।

जवाब में कहा गया कि अनुदान पंजी का संधारण कर अगले लेखापरीक्षा में प्रस्तुत किया जाएगा।

17. सोलर लाइट का क्रय

नगर पंचायत, लालगंज मे सोलर लाईट का क्रय उप विकास आयुक्त, मुजफफरपुर द्वारा सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर को प्रेषित पत्र (757/14.6.2011) जिसमें मानक प्राक्कलन का वर्णन है, के आधार पर मेसर्स इनर्जी प्वाइंट प्रतिष्ठान, न्यू जीरो माइल, मुजफ्फरपुर से रू 22000.00 प्रति अद्द करने का निर्णय लिया। नगर पंचायत ने आपूर्ति आदेश सं0 845 दिनांक 24.10.2011 द्वारा 77 अदद तथा आदेश सं0 1017 दिनांक 28.12.2011 द्वारा 4 अदद सोलर लाईट आपूर्ति करने का आदेश दिया। जिसके लिये ईनर्जी प्वाइंट को कुल रू 1782000 भुगतान किया गया, जिसका विवरण नीचे दिया जा रहा है–

क्र0सं0	अभिश्रव सं0/दिनांक	राशि(रू)
1.	631/17.11.2011	7,70,000.00
2.	65/22.5.2012	7,46,745.00
3.	685/5.2.2013	1,78,200.00
		16,94,945.00
	+vat 5%	87,055.00
		17,82,000.00

लेखापरीक्षा टिप्पणी

1) नगर पंचायत ने क्रय करने हेतु न तो विज्ञापन प्रकाशित करवाया और न हीं निविदा आमंत्रित किया जो कि क्रय नियम के विरूद्ध है

2) क्रय करने हेतु क्रय समिति का गठन नहीं किया।

3) क्रय किये गये सोलर लाईट को भंडार पंजी में इन्द्राज नहीं किया गया।

4) सोलर लाईट पर 5 वर्ष की वारंटी थी परन्तु संचिका में वारंटी कार्ड नहीं पाया गया।

5) Installation certificate नहीं पाया गया।

6) क्या सभी सोलर लाईट सही से काम कर रहे हैं, इसकी सूचना लेखापरीक्षा को नहीं दी जा सकी।

जवाब में कहा गया कि उपरोक्त को अगले लेखापरीक्षा में प्रस्तुत किया जायगा।

18. कुड़ादान का क्रय

नगर पंचायत, लालगंज ने 100 अदद कुड़ादान क्रय करने के लिए दिनांक 08.05.2010 को विज्ञापन प्रकाशित किया। जिसके अनुसार दिनांक 14.5.2010 तक निविदा आमंत्रित किया गया। संचिका के अनुसार क्रय समिति ने प्राप्त निविदा के आलोक मे निम्नवत निविदादाता मेसर्स कृषि यंत्र केन्द, सन्दलपुर रोड, कुम्हरार, पटना को देने का निर्णय लिया। मेसर्स कृषि यंत्र केन्द्र द्वारा सामान आपूर्त्ति के आलोक मे कुल रू 22,10,000 भुगतान किया गया। जिसका विवरण नीचे दिया जा रहा है–

क0सं0	कुड़ादान की सं0	विपत्र सं. /दिनांक	दर	कुल	भुगतान का विवरण
1	50	––/16.08.2011	22,100.00	11,05,000	Vr.N0.375/12.09.2011
2	50	––/19.02.2011	22,100.00	11,05,000	Vr.N0.533/21.02.2011
			Total:	22,10,000	

लेखापरीक्षा टिप्पणी

1) संचिका में कोटेशन, तुलनात्मक विवरणी, क्रय समिति का निर्णय आदि नहीं पाया गया।

2) भंडार पंजी में इन्द्राज दिखलाया जाए।

3) आपूर्तिकर्ता द्वारा सामान आपूर्ति करने की दशा में विपत्र का भुगतान करते समय स्रोत पर वैट की कटौती करने के पश्चात हीं भुगतान करना है यदि आपूर्तिकर्ता फार्म C-III प्रमाण–पत्र प्रस्तुत नहीं करना है।

मेसर्स कृषि यन्त्र केन्द्र ने दिनांक 15.08.2011 (Date of bill) को 50 अदद कुड़ादान आपूर्ति किया। परन्तु विपत्र के साथ C-III प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया। इसके बावजूद फर्म को बिना वैट कटौती (रू 52,619.00) के कुल भुगतान रू11,05,000.00 कर दिया गया। इस प्रकार कटौती नहीं की गयी वैट की राशि रू 52,619.00 जिम्मेवार/संबंधित व्यक्तियों से वसूलनीय है।

जवाब में कहा गया कि इस संबंध में उक्त फर्म से पत्राचार किया जाएगा।

19. श्रम उपकर की कटौती नहीं

नगर पंचायत, लालगंज में वर्ष 2011–12 एवं 2012–13में सभी मदों से चलाए गए सभी योजनाओं में श्रम उपकर (labour cess) की कटौती नहीं की गयी है। नियमानुसार सभी योजनाओं में कुल भुगतान (Total Gross Expenditure) का एक प्रतिशत श्रम उपकर के रूप में कटौती कर कर्मकार कल्याण समिति को भेजना है।

श्रम उपकर नहीं काटने के कारण अभिकर्ता/संवेदक को अधिक भुगतान हुआ जिसे वसूल कर राशि को कर्मकार कल्याण समिति को भेजा जाए। कुल वसूलनीय राशि रू 20966/

क्र0	योजना सं0 मद	संवेदक का नाम	प्रा0 राशि	कुल भुगतान	अनुमान्य श्रम उपकर (1%)
1	14/11–12 M.F	कं0 अभि0 ध्रुव कु0 महतो	492100	436762	4368
2	15/11–12 12thFC	श्री सुरेश चौधरी	149200	121240	1212
3	16/11–12 12thFC	श्री प्रवीण कुमार	113000	89370	893
4	17/11–12 12thFC	श्री जगन्नाथ ठाकुर	259700	259700	2597
5	18/11–12 12thFC	श्री राजीव कुमार	113180	108300	1083
6	19/11–12 12thFC	श्री कमल साह	157900	134215	1342
7	21/11–12 12thFC	श्री जगन्नाथ ठाकुर	113100	96135	961
8	22/11–12 12th FC	श्री रमेश कुमार	157000	133500	1335
9	31/11–12 BRGF	श्री रमेश कुमार	164300	162500	1625
10	33/11–12 BRGF	श्री जगन्नाथ ठाकुर	164300	163100	1631
11	34/11–12 BRGF	श्री जगन्नाथ ठाकुर	137300	120100	1201
12	40/11–12 BRGF	श्री जगन्नाथ ठाकुर	164300	163500	1635
13	44/11–12 BRGF	श्री कमल साह	108300	108300	1083
		कुल			20966

जवाब में बताया गया कि जानकारी के अभाव में श्रम उपकर (labour cess) नहीं काटा गया। इसे भविष्य में काटा जाएगा।

20. नगर पंचायत निजी आय कोश से ली गयी योजनाओं में अनियमितता

योजना संचिका की नमूना जॉच में पाया गया कि नगर पंचायत निजी आय कोश से ली गयी योजना का क्रियान्वयन विभागीय स्तर से कराया गया। परन्तु किसी भी योजना संचिका में अभिश्रव, मस्टर रौल नहीं पाया गया। जिसके कारण योजना का क्रियान्वयन संदिग्ध प्रतीत होता है। इन 18 योजनाओं पर कुल रू 2,240,290 को अंकेक्षण आपत्ति के अधीन रखा जाता है। जवाब में बताया गया कि मस्टर रौल एवं अभिश्रव कहीं रखा गया है जिन्हें अगले अंकेक्षण में प्रस्तुत कर दिया जाएगा।

1) नगर विकास विभाग, बिहार सरकार ने पत्रांक 356 दिनांक 22.01.2008 द्वारा सभी शहरी स्थानीय निकायों को योजनाओं का क्रियान्वयन निविदा के द्वारा कराने का आदेश दिया। इसके विपरीत नगर पंचायत, लालगंज मे निजी आय कोश के अर्न्तगत ली गयी योजनाएँ विभागीय स्तर से करायी गयी, जो

कि दिशा–निर्देश का उल्लंघन है। जबाव में बताया गया कि जानकारी के अभाव में विभागीय कार्य कराया गया।

21. अधिक भुगतान

योजना सं0:– 18/2011–12 (12th F.C.)

योजना का नाम– लालगंज नगर परिषद, वार्ड नं0:12 के अर्न्तगत अहमद राजा के मकान के बगल में सड़क में बालु भराई एवं ईट सोलिंग कार्य

प्रा0 रा0:– रू1,13,100.00

संवेदक का नामः–श्री राजीव कुमार, टोटहॉ, लालगंज

मापी पुस्तिका के अनुसार किया गया कार्य –1,08,300.00

संवेदक को भुगतान की गई राशिः–	1,01,584.00
vat+S.T+ROY	6716.00
कुलः–	1,08,300.00

संचिका के अनुसार संवेदक को प्रा0 राशि के 15 प्रतिशत कम दर पर कार्य आवंटित किया गया। परन्तु भुगतान के समय विपत्र से 15 प्रतिशत राशि रू 16,245.00 (1,08,300.00 का 15%) की कटौती नहीं की गयी। फलस्वरूप संवेदक को कुल रू 16,245.00 अधिक भुगतान किया गया। जो संबंधित/जिम्मेवार व्यक्तियों से वसूलनीय है। जवाब में कहा गया कि राशि की वसूली संबंधित संवेदक से कर ली जायगी।

22. अधिक भुगतान

योजना सं0– 15/2012–13 (नगर पंचायत निजी कोश)

योजना का नाम– वार्ड नं0–7 में प्रेम गंज रोड से शिव मंदिर तक के सड़क में P.C.C निर्माण कार्य

प्रा0 राशिः– रू 59,200.00

अभिकर्ता का नाम– श्री विश्वनाथ राय, प्र0 सहायक

मापी पुस्तिका के अनुसार किया गया कार्य– 59,200.00

अभिकर्ता को भुगतान की गयी राशि– 59,200.00

लेखापरीक्षा टिप्पणी–

1) सामग्री के अभिश्रव पर न तो कम संख्या पाया गयाऔर न ही कय की तिथि पायी गयी।

2) मस्टर रौल में मिस्त्री/मजदूर का नाम, पता, उनके पिता/पति का नाम, प्राप्तकर्ता के हस्ताक्षर नहीं पाया गया।

अतः, योजना पर कुल भुगतान रू 59200 को लेखापरीक्षा आपत्ति के अधीन रखा जाता है। जवाब दिया गया कि संबंधित मस्टर रौल, अभिश्रव अन्य संचिका में रख दी गयी है इसलिए अगले लेखापरीक्षा में ढूंढकर दिखा दिया जायेगा।

23. अधिक भुगतान

नगर पंचायत, लालगंज के अभिश्रव की नमूना जॉच के दौरान पाया गया कि नगर पंचायत लालगंज हेतु न्यू भवानी स्वीटस से मिठाई खरीदी गयी। कार्यपालक पदाधिकारी द्वारा इसके लिए मात्र रू 1960.00 स्वीकृत किया गया जबकि अभिश्रव संख्या 310 दिनांक 24.08.2012 द्वारा रू 2490.00 श्री शंभुनाथ पंडित रोकड़पाल को इसके लिए भुगतान किया गया। इस प्रकार कुल रू 530.00 (2490–1960= 530) अधिक भुगतान किया गया। अतः अधिक भुगतान की राशि रू 530.00 श्री शंभुनाथ पंडित से वसूल की जाये।

जवाब में कहा गया उक्त राशि की वसूली कर अगले लेखापरीक्षा को दिखाई जाएगी।

24 निरस्त

25. कार्यपालक से वार्तालाप

लेखापरीक्षा के दौरान उठाए गये आपत्तियों पर समय– समय पर एवं लेखापरीक्षा के अंत में चर्चा की गयी।

26. लेखापरीक्षा परिणाम

1. अंकेक्षण के दौरान वसूल की गयी राशि – शून्य
2. वसूली के लिए सुझायी गयी राशि – 3856727.00
3. आपत्ति के अंतर्गत रखी गयी राशि– 59200.00

(विस्तृत विवरणी परिशिष्ट– IV पर)

27. सामान्य अभियुक्तियॉ

नगर परिषद् द्वारा लेखा का संधारण संतोषप्रद नहीं था। अनेक आवश्यक अभिलेख जैसे– अनुदान पंजी, अनुदान विनियोग पंजी, समग्र अग्रिम पंजी, परिसम्पति पंजी एवं विभिन्न करों की मॉग एवं वसूली पंजी का संधारण नहीं किया गया था। अधिकारियों द्वारा अग्रिम के समायोजन पर ससमय ध्यान नहीं दिया जा रहा था। इन त्रुटियों को दूर करने हेतु कारगर कदम उठाए जाएँ।

–हस्ता0–
(रवि कुमार)
स.ले.प.अ.
अनुमोदित
उपमहालेखाकार
–––सह–––––
स्थानीय लेखापरीक्षक
बिहार, पटना

U38

सं0.एल0ए0 / एस0एस0.1 / श0स्था0नि0 / **दिनांकः–**

कार्यपालक पदाधिकारी, नगर पंचायत, लालगंज को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित किया जाता है। अनुरोध है कि प्रस्तुत अंकेक्षण प्रतिवेदन में उठाये गये सभी बिन्दुओं/आपत्तियों का जबाब प्रतिवेदन प्राप्त होने के तीन माह के अन्दर अभिप्रमाणित साक्ष्य सहित नगर पंचायत बोर्ड से अनुमोदित कराकर जिला स्तरीय समिति के समीक्षोपरान्त इस कार्यालय में अवश्य भेज दिया जाये।

यह निरीक्षण प्रतिवेदन लेखापरीक्षित इकाई द्वारा समर्पित एवं उपलब्ध कराये गए सूचनाओं/विवरणी के आधार पर तैयार किया गया है। महालेखाकार (लेखापरीक्षा), बिहार, पटना का कार्यालय लेखापरीक्षित इकाई द्वारा किसी भी गलत सूचना देने अथवा सही तथ्य छिपाने की जवाबदेही का दावा नहीं करता है।

—ह0—

वरीय लेखापरीक्षा अधिकारी
श.स्था.नि. स.प्र.–।
स्थानीय लेखापरीक्षा शाखा,
बिहार, पटना

सं0.एल0ए0 / एस0एस0.1 / श0स्था0नि0 / 14462/2143 **दिनांकः–** 22.12.14

आवश्यक कार्रवाई एवं सूचनार्थ प्रेषितः–

1. सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार सरकार, पटना
2. जिलाधिकारी, वैशाली

22/12/14

वरीय लेखापरीक्षा अधिकारी
श.स्था.नि. स.प्र.–।
स्थानीय लेखापरीक्षा शाखा,
बिहार, पटना

(परिशिष्ट I)

(कंडिका 3 से संदर्भ)

लेखा परीक्षा द्वारा जॉच किए गए अभिलेखों की सूची

1. लेखापाल रोकड.बही,
2. बैंक पासबुक
3. रोकड.पाल रोकड.बही,,
4. विविध रसीद,
5. रसीद बहियों की भण्डार पंजी,
6. दैनिक संग्रह पंजी,
7. योजना पंजी,
8. योजना अभिलेख, आंशिक
9. बन्दोबस्ती संचिका,

(परिशिष्ट II)

(कंडिका 3 से संदर्भ)

वैसे अभिलेख जो असंधाति थे या लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किए गये

1. अनुदान पंजी,
2. ऋण पंजी,
3. पी. एफ. लेखा,
4. मॉग एवं वसूली पंजी,
5. बजट पंजी,
6. परिसम्पत्ति पंजी,
7. वार्षिक लेखा,
8. वाहनों का लौग बुक,
9. सेवा पुस्तिका एवं नियुक्ति संचिका,
10. स्टेशनरी का स्टॉक रजिस्टर,
11. वेतन निर्धारण पंजी,
12. जमा पंजी,
13. अग्रिम पंजी,
14. दुकान आबंटन, पुराना कार्यालय भवन बन्दोवस्ती संचिका
15. कोषागार पासबुक,
16. UIDSSMT का उपयोगिता प्रमाण पत्र
17. भुगतान अभिश्रव
18. अतिक्रमण की गयी जमीन की पूर्ण सूची

परिशिष्ट – III

नगर पंचायत लालगंज में 2012-13 एवं 2011-12 में प्राप्त अनुदान की विवरणी

(कंडिका ~~17~~ 16 से संदर्भ)

क्र०	प्राप्ति तिथि	पत्रांक / दिनांक	राशि	मद
1)	26.4.2011	210/4.4.2011	9,81,000.00	B. RGF
2)	7.7.2011	D.D. No-021504/16.6.11	4,00,000.00	Hon. of City Manager
3)	11.7.2011	2730/17.5.2011	11,03,075.00	13th F.C
[4)	1.8.2011	3704/30.6.11	1,00,000.00	Hon of City Manager]
5)	21.1.2012	2335/3.8.2011	4,25,600.00	Stamp duty
6)	27.1.2012	21/4.8.2011	12,00,000.00	13th F.C
7)	"	154/13.1.2012	40,000.00	Hon of City Manager
7(a)	15.3.2012	80/21.1.2012	2000.00	Advertisity
8)	29.2.2012	9-11/11.1.2012	13,62,613.00	B.R.G.F
(8a)	15.3.2012	240/19.12.2012	20000.00	old age pension
9)	14.4.2012	207/23.1.2012	15,00,100.00	Stamp duty
10)	8.5.2012	181/27.3.2012	1,71,000.00	Kabir Antyesti Yojana
11)	"	182/ "	3,42,000.00	-do-
12)	14.9.2012	5801/31.8.2012	6,89,700.00	Hon. to School Teachers under N. Panchayat
13)	"	5804/ "	1,14,000.00	-do-
14)	17.10.2012	7918792/6.8.2012	7,26,759.00	B.R.G.F
15)	17.11.2012	6926/2.11.2012	10,71,600.00	Hon. to School Teachers
16.	29.11.2012	01/4.4.2012	9,17,000.00	13th F.C

c/o 1,08,44,507.00 + 22,000.00

P.T.O.

17	29.11.2012	29/19.7.2012	14,97,000.00	13th F.C
18	"	36/31.8.2012	4,71,000.00	do
19.	"	1584/5.6.2012	9,87,060.00	Stamp duty
20.	12.11.2012	Ch.no. 751797/31.12.12	9,28,000.00	KAY
21.	"	751798/31.10.12	4,84,500.00	"
22	19.12.2012	7310/11.12.12	2,67,900.00	Hon. to School Teachers
23.	24.12.2012	1183/17.11.12	7,24,359.00	B-R.G.F
24	16.1.2013	2012/8.8.12	5,34,680.00	Stamp duty
25	28.1.2013	1113/31.10.12	30,00,000.00	S.J.S.R.Y
26.	11.2.2013	496/29.1.13	5,35,800.00	Hon. to School Teachers
27	19.2.2013	44/20.9.12	76,200.00	allowance to W. Councillor
28.	"	41/19.9.12	2,40,000.00	Hon. to City Manager
		Total	1,97,97,006.00	
27	5.3.2013	47/16.11.12	34,90,041.00	4th State
28			7,57,520.00	Finance Comm for 2011-12
28	7.3.13	46/19.11.12	6,12,60,000.00	U.I.D.S.S.M.T.
29.	20.3.13	113801/15.3.13	60,00,000.00	old Age pension
30.	26.3.13	88/4.3.13	1,04,68,495.00	4th State Finance Commission for 2012-13
		Total	(1,58,51,516.00) 11,58,73,516.00	

परिशिष्ट– IV

लेखापरीक्षा परिणाम

लेखापरीक्षा प्रतिवेदन के कंडिका– 26 से संदर्भित

क.सं.	कंडिका सं.	लेखापरीक्षा के दौरान वसूल की गई राशि (₹)	अंकेक्षण में वसूली हेतु सुझायी गयी राशि (₹)	लेखापरीक्षा आपत्ति के अधीन रखी गयी राशि (₹)
1	7	---	224769.00	---
2	8	---	153598.00	---
3	9	---	3097119.00	---
4	11	---	290881.00	---
5	18	---	52619.00	---
6	19	---	20966.00	---
7	21	---	16245.00	---
8	22	--	0	59200.00
9	23	--	530.00	---
कुल योग			3856727.00	59200.00